G-7186/83

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3,
SUB-SECTION(I) UNDER G.S.R.NO.645 DATE 3.9.83

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralya)
Department of Mines (Khan Vibhag)

-----

New Delhi, the 19th August, 1983
Savavana, 1905 Saka

NOTIFICATION

G.S.R.645 In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Second Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, -

(i) in sub-rule (3) of rule 28, for the word "shall", the word "may" shall be substituted;

(ii) in the first paragraph of clause 3 of Part VIII of the Model Form 'K' of Schedule I for the word "shall", the word "may" shall be substituted.

File No. 1 (3)/75-MVI

Sd/-
(A.K.Venkata Subramanian)
Director

Note: (1) Original rule 28 of the Mineral Concession Rules, 1960 published by notification GSR No.1398 dated 11.11.1960.

(2) Amended by notification no.M-III-169 (44)/61 dated 6.5.1963.

(3) Subsequently amended vide notification no.1(3)/68-MII dated 30.3.1968.

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Near Rajouri Garden,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 645 के अंतर्गत 3-9-83 को प्रकाशित)

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग
....

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 1983

अधिसूचना

सा०का०नि० 645 - केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1983 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खान रियायत नियम, 1960 में, -

(i) नियम 28 के उप-नियम (3) में "मंजूर किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "मंजूर किया जा सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) अनुसूची 1 के मानक प्रारूप "ट" के भाग VIII के खंड 3 के पहले पैरा में "नवीकरणीय होगा" शब्दों के स्थान पर "नवीकरणीय हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

फा० सं० 1(3)/75-एम-6

ह०/-

(ए०के० वेंकटसुब्रह्मण्यन)
निदेशक

टिप्पण:- (1) खनिज रियायत नियम, 1960 का मूल नियम 28, अधिसूचना सं० सा० का०नि० 1398, तारीख 11-11-1960 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(2) अधिसूचना सं० एन011/69(44)/न061, तारीख 6-5-1983 द्वारा संशोधित किया गया ।

(3) तत्पश्चात् अधिसूचना सं० 1(3)/68-एम-II, तारीख 30-3-1968 द्वारा उसका संशोधन किया गया ।

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली ।